संख्या–4605/9–आ–5–93–545डीए/91

प्रेषक,

सत्य प्रकाश शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग–5 लखनऊः दिनाँक–4 सितम्बर, 1993

विषय : सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–3485/37–2–एचबी (271)/85, दिनांक 7.8.1985 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा सरकारी कर्मचारियों को आवंटित भूखण्डों पर निर्धारित समय के अन्दर भवन का निर्माण न कराये जाने पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकारी कर्मचारियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि उक्त शासनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधा का लाभ सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा दोनों श्रेणियों यथा सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात 7.8.1985 से अनुमन्य होगी।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में आरोपित अनिर्माण शुल्क जमा कराया जा चुका है वह इससे प्रभावी न होंगे।

भवदीय,

सत्य प्रकाश शर्मा
अनु सचिव।